

अध्याय-III
सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र
(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

अध्याय-III

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

3.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यविधि

3.1.1 परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ और सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। वाणिज्यिक प्रकृति के क्रियाकलापों को सम्पादित करने हेतु राज्य सा क्षे उ की स्थापना की गयी है एवं यह राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2017 को 22 कार्यरत सा क्षे उ थे। इनमें से कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2016-17 के दौरान, कोई नया सा क्षे उ सम्मिलित या बन्द नहीं हुआ था। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, उत्तराखण्ड में राज्य सा क्षे उ का विवरण निम्न तालिका-3.1.1 में दिया गया है।

तालिका-3.1.1: 31 मार्च 2017 को सा क्षे उ की कुल संख्या

सा क्षे उ के प्रकार	कार्यरत सा क्षे उ	अकार्यरत सा क्षे उ ¹	कुल
सरकारी कम्पनियाँ	19	04 ²	23
सांविधिक निगम	03 ³	-	03
योग	22	04	26

30 सितम्बर 2017 तक अन्तिमीकृत वार्षिक लेखों के अनुसार कार्यरत सा क्षे उ ने ₹7,323.64 करोड़ (परिशिष्ट-3.1.2) का कारोबार दर्ज किया था। यह कारोबार वर्ष 2016-17 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.75 प्रतिशत के बराबर था। 30 सितम्बर 2017 तक, उनके नवीनतम अन्तिमीकृत किये गये लेखों के अनुसार कार्यरत सा क्षे उ द्वारा ₹235.23 करोड़ का सकल हानि वहन की। मार्च 2017 के अंत तक उनके द्वारा 20,693 कर्मचारी (परिशिष्ट-3.1.2) नियोजित किये गये। 31 मार्च 2017 तक, कार्यरत सा क्षे उ में ₹5,636.99 करोड़ की प्रदत्त पूँजी एवं अकार्यरत चार सा क्षे उ में ₹0.35 करोड़ की प्रदत्त पूँजी थी।

3.1.2 जवाबदेही संरचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 और धारा 143 के प्रावधानों के द्वारा सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया शासित होती है। अधिनियम की धारा 2(45) के अनुसार, सरकारी कम्पनी वह कम्पनी है जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त अंश पूँजी केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार और आंशिक रूप से एक या

¹ अकार्यरत वे सा क्षे उ हैं, जिन्होंने अपना संचालन बन्द कर दिया है।

² कुम्ट्रौन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल फोन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड और उपाई लिमिटेड (जो 31 मार्च 1991 से परिसमापन पर था)।

³ उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड वन विकास निगम और उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।

अधिक राज्य सरकारों के पास हो तथा इसमें वह कम्पनी भी सम्मिलित हैं जो इस प्रकार की सरकारी कम्पनी की एक सहायक कम्पनी है। पुनश्च: अधिनियम की धारा-143 की उपधारा-7 के अनुसार, ऐसी कम्पनी के प्रकरण में जो धारा-139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) में आच्छादित हो, नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि म ले प) ऐसी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा सम्पादित करवा सकता है तथा नि म ले प के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा-19 अ के प्रावधान इस प्रकार की लेखापरीक्षा में लागू होंगे। कम्पनी के वित्तीय विवरण जो 31 मार्च 2014 या उससे बाद के हों, की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार शासित रहेगी।

3.1.3 सांविधिक लेखापरीक्षा

सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरण (जैसाकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित हैं) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जो कि अधिनियम की धारा-139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार नि म ले प द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि जिसमें अन्य दूसरी चीजों के साथ नि म ले प द्वारा निर्गमित निर्देश, उन पर कृत कार्यवाही तथा लेखों पर इनका प्रभाव भी सम्मिलित हैं, नि म ले प को प्रस्तुत करेगा। अधिनियम की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों की प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर नि म ले प द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा सम्पादित की जायेगी।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके सम्बन्धित विधानों द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, उत्तराखण्ड परिवहन निगम और उत्तराखण्ड वन विकास निगम के लिए नि म ले प एकमात्र लेखापरीक्षक है। उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की लेखापरीक्षा प्रारम्भ में नि म ले प को वर्ष 2003-04 से 2008-09 तक के लिए सौंपी गयी थी जिसे नि म ले प के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत वर्ष 2018-19 तक बढ़ाया गया है।

3.1.4 सरकार और विधायिका का कार्य

राज्य सरकार सा क्षे उ के मामलों पर नियंत्रण अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से रखती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधान मण्डल सा क्षे उ में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोगिता का अनुश्रवण करता है। इस उद्देश्य हेतु, राज्य सरकार की कम्पनियों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों एवं नि म ले प की टिप्पणियों और सांविधिक निगमों के मामलों में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, अधिनियम की धारा 394 के अन्तर्गत या जैसा सम्बन्धित अधिनियम में निर्धारित हो, राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है। नि म ले प का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार को नि म ले प के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 अ के अन्तर्गत प्रस्तुत की जाती है।

3.1.5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार की हिस्सेदारी

राज्य सरकार की इन सा क्षे उ में महत्वपूर्ण वित्तीय हिस्सेदारी है, जो मुख्यतः तीन प्रकार के हैं:

- **अंशपूँजी और ऋण-** अंशपूँजी योगदान के अतिरिक्त, राज्य सरकार समय-समय पर सा क्षे उ को ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय समर्थन-** जब कभी भी आवश्यक हो राज्य सरकार सा क्षे उ को अनुदान और उपदान के माध्यम से बजटीय सहायता प्रदान करती है।
- **प्रत्याभूति-** राज्य सरकार सा क्षे उ द्वारा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने पर ब्याज मय ऋण की अदायगी हेतु प्रत्याभूति देती है।

3.1.6 राज्य सा क्षे उ में निवेश

31 मार्च 2017 को, सभी सा क्षे उ में निवेश (प्रदत्त पूँजी, मुक्त संचय और दीर्घावधि ऋण) ₹10,854.32 करोड़ था, जिसका विवरण निम्न तालिका-3.1.2 में दिया गया है।


तालिका - 3.1.2: सा क्षे उ में कुल नियोजित पूँजी

(₹ करोड़ में)

सा क्षे उ के प्रकार	सरकारी कम्पनियाँ				सांविधिक निगम				कुल योग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	मुक्त संचय	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	मुक्त संचय	योग	
कार्यरत सा क्षे उ	2,968.39	3,829.78	970.23	7768.40	2,668.25	79.77	337.55	3,085.57	10,853.97
अकार्यरत सा क्षे उ	0.35	-	-	0.35	-	-	-	-	0.35
योग	2,968.74	3,829.78	970.23	7768.75	2,668.25	79.77	337.55	3,085.57	10,854.32

31 मार्च 2017 को, राज्य के सा क्षे उ में कुल निवेश का 99.99 प्रतिशत कार्यरत सा क्षे उ और शेष 0.01 प्रतिशत अकार्यरत सा क्षे उ में था। इस कुल निवेश में 51.95 प्रतिशत प्रदत्त पूँजी, 12.05 प्रतिशत मुक्त संचय और 36 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण में निहित था। निवेश 2012-13 में ₹7,250.93 करोड़ से 49.70 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में ₹10,854.32 करोड़ हो गया जैसाकि निम्न ग्राफ-3.1.1 में दर्शाया गया है:

ग्राफ-3.1.1: सा क्षे उ में कुल निवेश




3.1.6.1 31 मार्च 2017 के अनुसार, राज्य सा क्षेत्र उ में क्षेत्रवार निवेश की स्थिति को निम्न तालिका-3.1.3 में दिया गया है।

तालिका-3.1.3: सा क्षेत्र उ में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगम	सा क्षेत्र उ की कुल संख्या	कुल निवेश (₹ करोड़ में)
	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत		
ऊर्जा	3	-	-	3	6,728.50
विनिर्माण	6	3	-	9	326.37
वित्त	3	-	-	3	31.67
विविध	2	-	1	3	391.63
सेवाएं	2	-	1	3	297.71
अवसंरचना	2	-	1	3	3,055.26
कृषि एवं संबद्ध	1	1	-	2	23.18
योग	19	4	3	26	10,854.32

31 मार्च 2013 और 31 मार्च 2017 के अंत में चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश निम्न ग्राफ-3.1.2 में दर्शाया गया है।

ग्राफ- 3.1.2: सा क्षेत्र उ में क्षेत्रवार निवेश



वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान, निवेश में उच्चतम वृद्धि विनिर्माण क्षेत्र में थी, जो कि 2012-13 में ₹173.47 करोड़ से 2016-17 में ₹326.37 करोड़ (88.14 प्रतिशत) हो गई। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश में ₹2,071.05 करोड़ (44.47 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि अवसंरचना क्षेत्र में 2012-13 में ₹2,311.16 करोड़ से 2016-17 में ₹3,055.26 करोड़ (32.19 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। कम्पनियों/निगमों द्वारा ऋण का भुगतान करने के कारण सेवा क्षेत्र में निवेश 2012-13 में ₹338.05 करोड़ से घटकर (11.93 प्रतिशत) 2016-17 में ₹297.71 करोड़ रह गया।

3.1.7 वर्ष के दौरान विशेष सहायता और प्रतिफल

राज्य सरकार सा क्षे उ को वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 31 मार्च 2017 को समाप्त तीन वर्षों के लिए राज्य के सा क्षे उ से सम्बन्धित अंशपूँजी, ऋण, अनुदान/उपदान, बड़े खाते में डाले जाने वाले ऋण एवं माफी योग्य ब्याज हेतु बजटीय बहिर्गमन का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका-3.1.4 में दिया गया है।

तालिका-3.1.4: सा क्षे उ को बजटीय सहायता विवरण


(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
		स क्षे उ की संख्या	राशि	स क्षे उ की संख्या	स क्षे उ की संख्या	राशि	स क्षे उ की संख्या
1.	अंश पूँजी बजटीय बहिर्गमन	4	171.96	4	57.76	3	93.50
2.	बजट से दिया गया ऋण	5	374.43	3	17.35	2	29.84
3.	बजट द्वारा अनुदान/उपदान	3	32.60	4	44.42	7	69.23
4.	कुल बहिर्गमन (1+2+3)		578.99		119.53		192.57
5.	ऋण व ब्याज माफी	-	-	-	-	-	-
6.	जारी की गयी प्रत्याभूतियाँ	2	57.87	4	509.52	5	683.40
7.	प्रत्याभूति बचनवद्ध	4	1,471.97	4	852.55	3	2,245.31

स्रोत: सा क्षे उ कंपनियों द्वारा प्राप्त सूचना।

अंश पूँजी, ऋण और अनुदान/उपदान के निमित्त बजटीय बहिर्गमन से सम्बन्धित पिछले पाँच वर्षों का विवरण नीचे ग्राफ-3.1.3 में दिया गया है।

ग्राफ 3.1.3: अंश पूँजी, ऋण और अनुदान/उपदानों का बजटीय बहिर्गमन



राज्य सरकार द्वारा राज्य सा क्षे उ को अंश पूँजी, ऋण एवं अनुदानों/उपदानों के बजटीय बहिर्गमन, में अस्थिर प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया। यह वर्ष 2012-13 में ₹796.14 करोड़ से घटकर, 2013-14 में ₹519.69 करोड़, 2014-15 में ₹578.99 करोड़, 2015-16 में ₹119.53 करोड़ तथा 2016-17 में ₹192.57 करोड़ रह गयी।

31 मार्च 2015 को प्रत्याभूति वचनबद्धता की राशि ₹1,471.97 करोड़ (चार सा क्षे उ) की थी जो 31 मार्च 2016 को घटकर ₹852.55 करोड़ (तीन सा क्षे उ) हो गई तथा फिर बढ़कर 31 मार्च 2017 को, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को पुनर्गठित त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (आर-ए पी डी आर पी) के ऋण पर प्रत्याभूति के कारण ₹2,245.31 करोड़ हो गई। चालू वर्ष के दौरान पाँच⁴ सा क्षे उ के कुल ₹683.40 करोड़ के ऋण पर राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति दी गयी थी।

सा क्षे उ को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करवाने के लिए, राज्य सरकार प्रत्याभूति देती है एवं जिसके लिए शून्य प्रतिशत⁵ से एक प्रतिशत तक का प्रत्याभूति शुल्क वसूल करती है। 2016-17 के दौरान केवल एक सा क्षे उ, नामतः उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने ₹4.89 करोड़ प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान किया था।

3.1.8 वित्त लेखे के साथ मिलान

राज्य सा क्षे उ के अभिलेखों के अनुसार अंश पूँजी, ऋणों एवं बकाया प्रत्याभूतियों के आँकड़े राज्य के वित्त लेखे में दर्शाए गये आँकड़ों से मिलने चाहिए। आँकड़ों के मिलान न हो पाने की स्थिति में, सम्बन्धित सा क्षे उ एवं वित्त विभाग को अन्तरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2017 को इनकी स्थिति निम्न तालिका-3.1.5 में दी गई है।

तालिका-3.1.5: सा क्षे उ के अभिलेखों के सापेक्ष वित्त लेखों के अनुसार अंश पूँजी, ऋण, बकाया प्रतिभूति

(₹ करोड़ में)

सम्बन्धित बकाया	वित्त लेखे के अनुसार राशि	सा क्षे उ के अनुसार राशि	अन्तर
अंश पूँजी	3,123.73	3,205.11	81.38
ऋण	494.45	626.17	131.72
प्रत्याभूति	988.83	2,245.31	1,256.48

राज्य की सा क्षे उ आँकड़े तथा वित्त लेखों में प्रदर्शित आँकड़ों में अन्तर पाया गया। सम्बन्धित सा क्षे उ तथा वित्त विभाग से अन्तरों का मिलान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया था (अक्टूबर 2017)।

3.1.9 लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया

3.1.9.1 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 96 (1) के अनुसार, कम्पनियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अंदर, अर्थात् 30 सितम्बर किया जाना चाहिए। इसमें विफल होने पर, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 99 के अंतर्गत प्राविधानित दण्ड आरोपित किया जा सकता है। सांविधिक निगमों के मामले में, उनके

⁴ उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹233.70 करोड़), उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹423.45 करोड़), किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹6.25 करोड़), उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम (₹5.00 करोड़) तथा उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (₹15.00 करोड़)।

⁵ उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की प्रत्याभूति राशि शून्य प्रतिशत है।

लेखों का अन्तिमीकरण, लेखापरीक्षा और उनका विधायिका में प्रस्तुतीकरण सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए।

30 सितम्बर 2017 को कार्यरत सा क्षेत्र 3 के लेखों को अन्तिमीकरण की प्रगति निम्न विवरण तालिका-3.1.6 में दी गई है:

तालिका-3.1.6: कार्यरत सा क्षेत्र 3 के अन्तिमीकरण से सम्बन्धित स्थिति

क्र.स.	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1.	कार्यरत सा क्षेत्र 3/अन्य कम्पनियों की संख्या	20	21	21	21	22
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत लेखों की संख्या	10	23	16	16	42
3.	बकाया लेखों की संख्या	150	148	153	158	138
4.	कार्यरत सा क्षेत्र 3 की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	20	20	20	18	19
5.	बकाया अवधि की सीमा (संख्या वर्षों में)	1 से 26 वर्ष	1 से 27 वर्ष	1 से 28 वर्ष	1 से 29 वर्ष	1 से 30 वर्ष

प्रशासनिक विभागों का यह उत्तरदायित्व है कि वह सा क्षेत्र 3 के उपक्रमों की इन इकाईयों की गतिविधियों की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि इनके खातों का अन्तिमीकरण और अंगीकरण निर्धारित अवधि के अंदर किया जाये। सम्बन्धित विभागों को नियमित रूप से बकायों की अद्यतन स्थिति से सूचित किया गया था। इसके अतिरिक्त, महालेखाकार द्वारा मुख्य सचिव एवं सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड सरकार के समक्ष जुलाई 2016, अगस्त 2017 और अक्टूबर 2017 को खातों के बकाया समाप्त करने के प्रकरण को उजागर किया गया। तथापि, कोई विशेष सुधार नहीं पाया गया। इसके परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा के दौरान उन सा क्षेत्र 3 के नेट वर्थ का निर्धारण नहीं किया जा सका, जिनके लेखे बकाया थे (दिसम्बर 2017)।

3.1.9.2 राज्य सरकार ने ₹127.06 करोड़ का निवेश (अंश पूँजी, ऋण तथा अनुदान) उन छः सा क्षेत्र 3 में किया जिनके लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था जैसाकि **परिशिष्ट-3.1.1** में वर्णित है। लेखों के अन्तिमीकरण एवं उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या निवेशों और व्यय को लेखों में ठीक प्रकार से लेखाकृत किया गया है तथा उद्देश्य, जिसके लिए निवेश किया गया था, प्राप्त हुए हैं।

3.1.9.3 30 सितम्बर 2017, तक अकार्यरत सा क्षेत्र 3 द्वारा भी लेखों को अन्तिमीकृत किया जाना बकाया था जैसाकि निम्न तालिका-3.1.7 में दिया गया है:

तालिका-3.1.7: अकार्यरत सा क्षेत्र 3 के बकाया से सम्बन्धित लेखों की स्थिति

अकार्यरत कम्पनियों के नाम	अवधि जिसके लेखे बकाया हैं	वर्षों की संख्या जिनमें लेखे बकाया रहे
यू पी ए आई लि	1989-90 से	28
कुमट्रौन लि	1990-91 से	27
उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लि	स्थापना से (1987-88)	30
उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज लि	स्थापना से (1989-90)	28

चार अकार्यरत सा क्षेत्र 3 में से एक सा क्षेत्र 3 अर्थात् यू पी ए आई लि 31 मार्च 1991 से परिसमापन की प्रक्रिया में थी और शेष तीन अकार्यरत सा क्षेत्र 3⁶ में 27 से 30 वर्षों तक के लेखों का बकाया था।

⁶ कुमट्रौन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज लिमिटेड।

3.1.9.4 सांविधिक निगमों के संबंध में, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड वन विकास निगम तथा उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम ने अपने 2015-16 तक के लेखों का अन्तिमीकरण कर लिया गया है।

3.1.10 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

नि म ले प द्वारा जारी किये गये (30 सितम्बर 2017 तक) सांविधिक निगमों के लेखों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ ले प प्रति) की राज्य विधायिका में प्रस्तुतीकरण की स्थिति नीचे तालिका-3.1.8 में दी गयी है:

तालिका-3.1.8: पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का विधायिका में प्रस्तुतीकरण की स्थिति

क्र सं	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक पृ ले प प्रति विधायिका को प्रस्तुत किये गये	वर्ष जिनके लिए पृ ले प प्रति विधायिका को प्रस्तुत नहीं किये गये	
			पृ ले प प्रति का वर्ष	वर्तमान स्थिति
1.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2009-10	2010-11 से 2014-15	अभी तक प्रस्तुत नहीं हुए
2.	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2013-14	-	-
3.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2009-10 एवं 2010-11	2011-12 सं 2015-16	अभी तक प्रस्तुत नहीं हुए

सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को भी लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया के संबंध में सूचित किया गया (दिसम्बर 2016 तथा अक्टूबर 2017)। तथापि, कोई भी सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई। जिसके परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा के दौरान इन सा क्षे उ के नेट वर्थ का निर्धारण नहीं किया जा सका।

3.1.11 लेखों के अन्तिमीकरण न होने का प्रभाव

लेखों को अंतिम रूप देने में देरी से प्रासंगिक विधियों के प्रावधानों के उल्लंघन के आलावा लोकधन की धोखाधड़ी और लिकेज़ की आशंका बढ़ जाती है। लेखों के बकाया को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2016-17 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वास्तविक योगदान को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.1.12 सा क्षे उ के नवीनतम अन्तिमिकृत लेखों के अनुसार उनका निष्पादन

3.1.12.1 कार्यरत सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम **परिशिष्ट-3.1.2** में निर्दिष्ट हैं। सा क्षे उ के कुल कारोबार से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सा क्षे उ के योगदान को प्रदर्शित करता है। 31 मार्च 2017 को समाप्त पाँच वर्ष की समयावधि के लिये कार्यरत सा क्षे उ के कारोबार एवं स रा घ उ का विवरण निम्न तालिका-3.1.9 में दिया गया है।

तालिका-3.1.9: कार्यरत सा क्षे उ की कारोबार एवं स रा घ उ का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कारोबार ⁷	4,042.00	5,103.24	5,741.42	7,173.33	7,323.64
स रा घ उ ⁸	1,31,835	1,49,817	1,61,985	1,84,091	1,95,192
कारोबार का स रा घ उ से प्रतिशतता	3.07	3.41	3.54	3.90	3.75


⁷ कारोबार 30 सितम्बर 2017 को नवीनतम अन्तिमीकरण लेखों के अनुसार है।

⁸ स रा घ उ के आँकड़े मार्च 2017 को समाप्त राज्य वित्त के प्रतिवेदन से लिए गये हैं।

विगत पाँच वर्षों के दौरान, कार्यरत सा क्षेत्र 3 का करोबार 2012-13 में ₹4,042.00 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹7,323.64 करोड़ हो गया तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भी इसकी प्रतिशतता 2012-13 में 3.07 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 3.75 प्रतिशत हो गयी।

3.1.12.2 2012-13 से 2016-17 के दौरान, राज्य में कार्यरत सा क्षेत्र 3 द्वारा कुल अर्जित लाभ एवं वहन हानियों को निम्न **ग्राफ-3.1.4** में दिया गया है।

ग्राफ-3.1.4: कार्यरत सा क्षेत्र 3 के लाभ/हानि (-)



(कोष्ठक में प्रदर्शित आंकड़े सम्बन्धित वर्ष में कार्यरत सा क्षेत्र 3 की संख्या दर्शाते हैं)

वर्ष 2016-17 के दौरान, 22 कार्यरत सा क्षेत्र 3 में से नौ सा क्षेत्र 3 ने ₹211.41 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 13 सा क्षेत्र 3 ने ₹446.62 करोड़ की हानि वहन की। लाभ अर्जित करने में योगदान देने वाले उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹74.59 करोड़), उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (₹50.88 करोड़), और उत्तराखण्ड पावर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹39.17 करोड़) थे। उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹288.78 करोड़), डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹36.04 करोड़), और उत्तराखण्ड परिवहन निगम (₹34.94 करोड़) ने हानि वहन की।

3.1.12.3 सा क्षेत्र 3 के कुछ अन्य प्रमुख मानकों को निम्न **तालिका-3.1.10** में दिया गया है।

तालिका-3.1.10: राज्य सा क्षेत्र 3 के मुख्य मानक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
इक्विटी पर प्रतिफल ⁹ (प्रतिशत) [§]	0.07	10.87	(-)11.17	3.51	(-)6.94
निवेश पर प्रतिफल ¹⁰ (प्रतिशत) [§]	8.37	3.41	5.42	10.61	5.92
ऋण	2,702.00	2,929.57	3,245.73	3,216.60	3,909.55
कारोबार [§]	4,042.00	5,103.24	5,741.42	7,173.33	7,323.64
ऋण/कारोबार अनुपात	0.67:1	0.57:1	0.57:1	0.45:1	0.53:1
ब्याज अदायगियाँ	276.93	281.65	358.33	391.13	428.73
संचित लाभ/हानियाँ	(-)2,081.42	(-)2,034.59	(-)1,883.90	(-)1,948.47	(-)2,510.27

([§] केवल कार्यरत सा क्षेत्र 3 के सम्बन्धित वर्ष के 30 सितंबर को नवीनतम सम्बन्धित अंतिमीकृत लेखों से आंकड़े)

⁹ इक्विटी पर प्रतिफल = कर पश्चात शुद्ध लाभ - पूर्वाधिकार लाभांश/अंशधारियों की निधि जहाँ अंशधारियों की निधि है = प्रदत्त पूंजी + मुक्त संचय एवं आधिक्य-संचित हानि - स्थगित राजस्व व्यय।

¹⁰ विनियोग पर प्रतिफल = लाभांश से पूर्व निवल लाभ, कर व ब्याज/निवेश जहाँ निवेश = प्रदत्त पूंजी + मुक्त संचय + दीर्घावधि ऋण।

3.1.12.4 राज्य सरकार ने सा क्षेत्र के लिए कोई लाभांश नीति नहीं बनायी थी जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पूँजी पर सा क्षेत्र द्वारा एक न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान आवश्यक होता। वर्ष 2016-17 के दौरान, एक सा क्षेत्र नामतः उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने गत वर्ष 2015-16 के ₹181.90 करोड़ के लाभ के सापेक्ष ₹12.21 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया।

3.1.13 अकार्यरत सा क्षेत्र का परिसमापन

3.1.13.1 31 मार्च 2017 को चार अकार्यरत सा क्षेत्र/कम्पनियाँ थीं। इनमें से एक सा क्षेत्र नामतः यू पी ए आई लिमिटेड ने 31 मार्च 1991 को परिसमापन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यरत सा क्षेत्र की संख्या चार थी।

3.1.13.2 अकार्यरत सा क्षेत्र के परिसमापन होने की स्थिति नीचे तालिका-3.1.11 में दी गयी है।

तालिका-3.1.11: अकार्यरत सा क्षेत्र का समापन

क्र. सं.	विवरण	कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	योग
1.	कुल अकार्यरत सा क्षेत्र की संख्या	04	-	04
2.	उक्त (1) में से निम्नलिखित के अंतर्गत संख्या	-	-	-
(अ)	न्यायालय द्वारा परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	01	-	01
(ब)	स्वैच्छिक परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	-	-	-
(स)	समापन अर्थात् बन्द करने के आदेश/निर्देश जारी परन्तु परिसमापन की प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई	03	-	03

वर्ष 2016-17 के दौरान, कोई भी कम्पनी/निगम अन्तिम रूप से बन्द नहीं हुई थी। एक मात्र कम्पनी अर्थात् यू पी ए आई लिमिटेड, जिसने न्यायालय के आदेशानुसार समापन का मार्ग अपनाया था, 25 वर्षों से अधिक समय से परिसमापन के अधीन थी। सरकार अन्य तीन अकार्यरत सा क्षेत्र के परिसमापन की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने के बारे में निर्णय ले सकती है।

3.1.14 लेखों पर टिप्पणियाँ

वर्ष 2016-17 के दौरान, तेरह कार्यरत कम्पनियों ने 34 लेखापरीक्षित लेखों को महालेखाकार को प्रेषित किया। इनमें से, 12 कम्पनियों के 33 लेखों को पूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि म ले प की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका-3.1.12 में दिया गया है।

तालिका-3.1.12: लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कार्यरत कम्पनियों पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	5	22.94	7	34.73	11	55.14
2.	हानि में वृद्धि	2	0.76	5	192.62	20	189.51
3.	योग		23.70		227.35		244.65
4.	महत्वपूर्ण तथ्यों को उद्धोषित न किया जाना	2	72.39	1	0.31	16	5.25
5.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	3	290.27	10	172.29	15	199.83

लेखों पर टिप्पणियों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2016-17 के दौरान 12 सा क्षेत्र उ में कुल ₹244.65 करोड़ की लाभ में कमी/हानि में वृद्धि होगी।

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 15 लेखों को अर्हता प्रमाण पत्र तथा 19 लेखों¹¹ को प्रतिकूल प्रमाणपत्र दिया था। नि म ले प ने 33 खातों के लिए अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान टिप्पणियों के साथ अर्हता प्रतिवेदन दिये तथा एक कम्पनी¹² के संबंध में गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया। कम्पनियों द्वारा लेखा मानकों के अनुपालन की स्थिति बहुत निम्न रही। वर्ष के दौरान, 20 खातों में 123 ऐसे मामले थे जिनमें अनुपालन नहीं किया गया था।

इसी प्रकार, तीन कार्यरत सांविधिक निगमों नामतः उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं विकास निर्माण निगम तथा उत्तराखण्ड वन विकास निगम ने वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक के अपने आठ लेखों को महालेखाकार को अक्टूबर 2016 से सितम्बर 2017 के बीच अग्रेषित किया। इन लेखों की लेखापरीक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व नि म ले प का था, जिसे पूरा कर लिया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि म ले प की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण निम्न तालिका-3.1.13 में दिया गया है:

तालिका 3.1.13: लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सांविधिक निगमों पर प्रभाव

क्र.सं.	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
		लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़)
1.	लाभ में कमी	2	49.49	-	-	5	165.34
2.	हानि में वृद्धि	6	87.40	2	12.66	3	48.33
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों को उद्घोषित न किया जाना	-	-	2	11.73	4	38.49
4.	वर्गीकरण की त्रुटियों	2	0.88	-	-	4	145.97

लेखापरीक्षा में टिप्पणियों का प्रभाव, वर्ष 2014-15 में ₹137.77 करोड़ से घटकर 2015-16 में ₹24.39 करोड़ रह गया और 2016-17 में बढ़कर ₹398.13 करोड़ हो गया।

3.1.15 लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

सा क्षे 3 से सम्बन्धित प्रस्तर

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में एक विषयक आधारित अनुपालन लेखापरीक्षा¹³ को सम्मिलित करते हुए छः अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किये गये कि उनका जवाब छः सप्ताह के अंदर भेजने का कष्ट करें। तथापि, राज्य सरकार से पाँच लेखापरीक्षा प्रस्तरों¹⁴ के संबंध में उत्तर प्रतिक्रित था (दिसम्बर 2017)।

¹¹ राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड (2013-14), उत्तरप्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (1998-99 से 2013-14) तथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड (2006-07 तथा 2007-08)।

¹² ब्रिज, रोपवे, टनल तथा अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।

¹³ उत्तराखण्ड पाँवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बिल जारी करना एवं राजस्व संग्रहण करना।

¹⁴ शेष एक प्रस्तर के संबंध में कंपनी द्वारा ₹ 21.25 लाख की वसूली की गयी (2017-18)।

3.1.16 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि म ले प) के प्रतिवेदन सांविधिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि कार्यपालक उस पर उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्रकाश में लायें। सभी प्रशासनिक विभागों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की समिति (सा क्षे उ स) की प्रश्नावली का इंतजार किये बिना निर्धारित प्रारूप में नि म ले प के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षा पर अपना उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणीयाँ उस प्रतिवेदन के विधान मंडल में प्रस्तुति के तीन महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है। व्याख्यात्मक टिप्पणियों की प्राप्ति की स्थिति को निम्न तालिका-

3.1.14 में दिया गया है:

तालिका-3.1.14: 30 सितम्बर 2017 तक व्याख्यात्मक नोट प्राप्त न होना

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक/ सा क्षे उ)	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कुल प्रस्तरों की संख्या		निष्पादन लेखापरीक्षा/प्रस्तरों की संख्या जिनके व्याख्यात्मक टिप्पणीयाँ नहीं प्राप्त हुए	
		नि ले प	प्रस्तर	नि ले प	प्रस्तर
2010-11	दिसम्बर 2012	01	04	01	04
2011-12	सितम्बर 2013	01	02	01	02
2012-13	नवम्बर 2014	01	02	01	02
2013-14	नवम्बर 2015	-	06	-	06
2014-15	नवम्बर 2016	-	06	-	06
2015-16	मई 2017	-	02	-	02
योग		03	22	03	22

3.1.17 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

30 सितम्बर 2017 तक, निष्पादन लेखापरीक्षा व प्रस्तर जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा क्षे उ) में सम्मिलित किये गये हैं और जिन पर सा क्षे उ की समिति द्वारा चर्चा की गई है की स्थिति निम्न तालिका-3.1.15 में दर्शायी गई है।

तालिका-3.1.15: 30 सितम्बर 2017 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षा/प्रस्तर व उन पर चर्चा

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षा/प्रस्तरों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		प्रस्तर जिस पर चर्चा हुई	
	नि ले प	प्रस्तर	नि ले प	प्रस्तर
2010-11	01	04	01	02
2011-12	01	02	01	-
2012-13	01	02	01	01
2013-14	-	06	-	-
2014-15	-	06	-	-
2015-16	-	02	-	-
योग	03	22	03	03

3.1.18 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन

मार्च 2011 से मार्च 2017 के दौरान सा क्षे उ स के छः प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 17 प्रस्तर जो राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किये गये, पर कोई कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए टी एन) प्राप्त नहीं हुई थी (दिसम्बर 2017) जैसाकि निम्न तालिका-3.1.16 में दिया गया है:

तालिका-3.1.16: सा क्षे उ स प्रतिवेदनों पर अनुपालन

वर्ष जिसमें सा क्षे उ स की बैठक हुई	कुल बैठकों की संख्या	स क्षे उ स प्रतिवेदनों की कुल संख्या	स क्षे उ स प्रतिवेदनों पर कुल संस्तुतियों की संख्या	संस्तुतियों की संख्या जिन पर कृत कार्यवाही टिप्पणी प्राप्त नहीं हुए
2014-15	05	02	07	कोई भी कृत कार्यवाही टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई
2015-16	06	02	08	
2016-17	01	02	02	
2017-18	कोई बैठक आयोजित नहीं हुई			
योग	12	06	17	

यह संस्तुति की जाती है कि सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि: (क) ड्राफ्ट प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं और सा क्षे उ स द्वारा दी गयी संस्तुतियों एवं कृत कार्यवाही टिप्पणी के जवाब एक निर्धारित समय पर दिए जायें एवं (ख) लेखापरीक्षा आपत्तियों के लिए प्रत्युत्तरों की व्यवस्था में सुधार किया जाए ताकि समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

3.1.19 लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गई वसूलियाँ

लेखापरीक्षा निष्कर्ष में सम्मिलित वसूलियाँ जो सा क्षे उ के लेखों की नमूना जाँच के दौरान प्रकाश में आयी, को सा क्षे उ/राज्य सरकार को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के द्वारा आगे जाँच हेतु प्रेषित किया जाता है। वसूली होने के प्रकरण में इसे लेखापरीक्षा को सूचित किये जाने की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2016-17 के दौरान कार्य अनुबन्ध कर न काटे जाने के कारण ₹ 0.67 करोड़ की वसूली उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई।

3.1.20 सा क्षे उ का विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

वर्ष 2016-17 के दौरान, सरकार की कम्पनियों और सांविधिक निगमों के निजीकरण का कोई प्रकरण नहीं था। राज्य सरकार ने राज्य सा क्षे उ में सरकार की अंश पूँजी के विनिवेश के लिए कोई नीति तैयार नहीं की थी।

3.1.21 इस अध्याय का आच्छादन (सा क्षे उ अध्याय)

सा क्षे उ अध्याय में एक विषयक आधारित अनुपालन लेखापरीक्षा¹⁵ को सम्मिलित करते हुए पाँच प्रस्तर¹⁶ हैं, जिनका वित्तीय प्रभाव ₹ 368.91 करोड़ है।

¹⁵ उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बिल जारी करना एवं राजस्व संग्रहण करना।

¹⁶ एक प्रस्तर के संबंध में कंपनी द्वारा ₹ 21.25 लाख की वसूली की गयी (2017-18)।

अनुपालन लेखापरीक्षा

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

3.2 अभिकरण की प्रामाणिकता सत्यापित किये बिना कार्य को सौंपा जाना

निगम ₹ 22.29 लाख व्यय करने के पश्चात भी वन प्रबंधन प्रमाणीकरण प्राप्त नहीं कर सका।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम (निगम) द्वारा ब्राण्ड वैल्यू का सृजन करने एवं वन के उत्पादों की उपार्जन क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से देहरादून, कालसी, रामनगर तथा हल्द्वानी के इमारती लकड़ी के प्रचुर क्षेत्रों के लिए वन प्रबंधन परिषद (व प्र प) के अंतर्गत वन प्रबंधन प्रमाणीकरण प्राप्त करने की योजना (अप्रैल 2010) बनायी थी।

निगम द्वारा व प्र प प्रमाणीकरण का प्रस्ताव अनुमोदित¹⁷ किया गया, जिसमें व प्र प का प्रमाणीकरण प्राप्त करने के बाद निगम के राजस्व में ₹203.16 करोड़ से बढ़कर ₹242.38 करोड़ (19.31 प्रतिशत की वृद्धि) की वृद्धि अनुमानित की गई। इस उद्देश्य के अनुसरण में निगम ने परामर्श एवं प्रमाणन संपादन हेतु ₹52.89 लाख के अनुबन्ध मूल्य पर एक अभिकरण¹⁸ के साथ अनुबंध (20 जून 2012) गठित किया गया।

निगम ने परामर्श व प्रमाणीकरण अनुबंध की पहली किश्त के रूप में ₹14.86 लाख की धनराशि अवमुक्त (दिसम्बर 2012) की। भारतीय गुणवत्ता परिषद¹⁹ (क्यू सी आई) द्वारा मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए निगम को सूचित (अप्रैल 2013) किया कि निहित हितों के टकराव के कारण परामर्श और प्रमाणीकरण का कार्य एक ही संस्था को नहीं सौंपा जाना चाहिए। निगम ने क्यू सी आई के सुझाव की अवहेलना कर अभिकरण को ₹7.43 लाख और अवमुक्त (जुलाई 2013) किये। निगम ने अभिकरण की मान्यता की स्थिति का पता लगाने के लिए व प्र प से सम्पर्क (फरवरी 2014) किया। जिसने सूचित (फरवरी 2014) किया कि अभिकरण साईटिफिक सर्टिफिकेशन सिस्टम (एस सी एस) (एक अधिकृत निकाय) की एक उप-ठेकेदार था तथा जो व प्र प से सीधे तौर पर अधिकृत नहीं था। इसका आशय है कि यह अभिकरण वन प्रबंधन प्रमाणीकरण जारी करने के योग्य नहीं था।

लेखापरीक्षा में पाया (फरवरी 2016) गया कि निगम कार्य आवंटन से पूर्व अभिकरण की प्रामाणिकता और मान्यता की स्थिति को व प्र प से सत्यापित करने में विफल रहा। चूंकि अभिकरण प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त निकाय नहीं था, इसलिए अभिकरण को दिये गये ₹22.29 लाख²⁰ का भुगतान

¹⁷ दिसम्बर 2011 में आयोजित 38 वीं बोर्ड बैठक में।

¹⁸ ग्रीन इनिशिएटिव्स सर्टिफिकेशन एंड इन्सपैक्शन एजेन्सी।

¹⁹ राष्ट्रीय मान्यता संरचनाओं के संचालन एवं स्थापना और गुणवत्ता प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय।

²⁰ ₹14.86 लाख + ₹7.43 लाख।

निष्फल हुआ तथा निगम उन लाभों को प्राप्त नहीं कर सका जिनकी प्रस्ताव में परिकल्पना की गई थी।

यह इंगित किये जाने पर, प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार (अप्रैल और अगस्त 2017) किया और अवगत कराया कि व प्र प मान्यता का कार्य निगम द्वारा पहली बार किया गया था तथा अनुभव की कमी के कारण ही ऐसी अनियमितता हुई। यह भी अवगत कराया गया कि अनुबन्ध को रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है। निगम द्वारा भविष्य में निविदा आमंत्रण एवं स्वीकार करते समय ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद के मानकों व निर्देशों का पालन करने हेतु आदेश भी जारी (मार्च 2016) किया गया था।

प्रकरण सरकार को संदर्भित (अप्रैल 2017) किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

3.3 कर्मचारी भविष्य निधि का अनियमित योगदान

निगम ने कर्मचारियों के अनिवार्य 12 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि योगदान की क्षतिपूर्ति करते हुए ₹ 18.79 लाख का अतिरिक्त व्यय किया, जिसे अधिनियम के अनुसार कर्मचारियों को वहन करना था।

कर्मचारी भविष्य निधि क भ नि अधिनियम 1952 (अधिनियम) के अनुसार नियोक्ताओं को श्रमिकों द्वारा आहरित²¹ मजदूरी में से कर्मचारी भविष्य निधि (क भ नि) की 12 प्रतिशत की कटौती करना तथा नियोक्ता के योगदान सहित कटौती की गई राशि को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क भ नि सं) में जमा करना अनिवार्य है।

निगम अपनी दिन प्रतिदिन लकड़ी कटान, लदान और उतारने से सम्बन्धित कार्यों को पूरा करने के लिए विभागीय श्रमिक नियुक्त करता है जो उक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार भविष्य निधि का लाभ लेने के हकदार हैं।

लेखापरीक्षा में पाया (फरवरी 2017) गया कि निगम की स्थापना (2001) से ही विभागीय श्रमिकों को दी गई उनकी वास्तविक मजदूरी में से न तो कर्मचारी अंशदान की वसूली की गई और न ही क भ नि में स्वयं का अंशदान जमा किया।

सभी विभागीय नियुक्त श्रमिकों की क भ नि कटौती (12 प्रतिशत) सुनिश्चित करने के लिए निगम ने निर्णय लिया (दिसम्बर 2014) कि श्रमिकों का क भ नि अंशदान वह स्वयं वहन करेगा और उसे श्रमिक कल्याण व्यय में लेखांकित करेगा।

इस प्रकार, निगम को भविष्य निधि में नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों का अंशदान वहन करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप, निगम द्वारा दिसम्बर 2014 से फरवरी 2015 की अवधि के दौरान

²¹ अधिकतम ₹ 15,000 प्रतिमाह तक। ₹ 15,000 प्रति माह से अधिक मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों के लिए योजना ऐच्छिक थी।

₹ 18.79 लाख²² का अतिरिक्त व्यय क भ नि में कर्मचारियों के अंशदान के रूप में पर वहन किया गया।

निगम ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार (अप्रैल 2017) किया और अवगत कराया कि उसने कर्मचारियों के अंशदान के रूप में दी जाने वाली क्षतिपूर्ति को बन्द करने का कार्यालय आदेश निर्गत (31 मार्च 2017) कर दिया है जो 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी होगा। तथापि, तथ्य यह है कि निगम ने पहले से ही ₹ 18.79 लाख का अतिरिक्त व्यय कर्मचारियों के क भ नि अंशदान के रूप में वहन किया जो कि वसूली योग्य नहीं था।

प्रकरण सरकार को संदर्भित (अप्रैल 2017) किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2017) था।

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड

3.4 निर्धारित समय सीमा के अंदर परियोजना को पूरा करने में विलंब के कारण लागत में वृद्धि

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड एक योजनाबद्ध तरीके से परियोजना को निष्पादित करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप, लागत में ₹ 38.10 करोड़ की वृद्धि को यू ई आर सी द्वारा टैरिफ निर्धारण हेतु सम्मिलित नहीं किया जा सका क्योंकि यह नियंत्रणीय कारकों के कारण थी। निगम को परियोजना लागत का ₹ 34.53 करोड़ का एक अतिरिक्त घटक भी छोड़ना पड़ा और इससे टैरिफ निर्धारण के लिए अपने दावे को कम करना पड़ा।

परियोजना प्रबंधन के मुख्य कार्यों में से कार्य लागत का पूर्वानुमान लगाना एवं लागत में वृद्धि से बचने के लिए लागत पर दृष्टि रखना है। परियोजना प्रबंधन को परियोजना के समय से पूरा होने पर दृढ़तापूर्वक ध्यान देना चाहिए क्योंकि किसी भी विलंब से लागतों में वृद्धि हो सकती है। पुनः, लागत वृद्धि के प्रकरण में, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) की धारा 14 और 15 (टैरिफ निर्धारण के नियम और शर्तें) विनियमन, 2011 के अनुसार नियंत्रणीय व्यय के दावों की गणना टैरिफ निर्धारण के लिए नहीं की जाती है।

लेखापरीक्षा में पाया (फरवरी 2017) कि उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (निगम) ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (यू पी एस ई बी)²³ से प्रस्तावित पनबिजली परियोजना मनेरी भाली-II (परियोजना) का अधिग्रहण किया (नवंबर 2001)। निगम ने जुलाई 2002 में मूल ठेकेदारों के साथ अनुपूरक अनुबंधों²⁴ पर हस्ताक्षर किये। लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना

²² ₹ 6.74 लाख (दिसम्बर 2014) + ₹ 4.83 लाख (जनवरी 2015) + ₹ 7.22 लाख (फरवरी 2015)।

²³ परियोजना का मूल आगणन ₹ 43.33 करोड़ था और केंद्रीय जल और विद्युत आयोग (सी डब्ल्यू पी सी) द्वारा 1972 में इसे स्वीकृत किया गया था। इसे 1973 में ₹ 45.71 करोड़ संशोधित किया गया था। इस परियोजना पर 1993 तक ₹ 153 करोड़ का व्यय किया गया था। दिनांक 21.02.2000 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) ने ₹ 1,249.18 करोड़ के संशोधित आगणन की स्वीकृति प्रदान की थी। इसे पॉवर फाइनेन्स कार्पोरेशन ने ₹ 1,714.41 करोड़ की लागत से वित्त पोषित किया था।

²⁴ तत्कालीन यू पी एस ई बी ने उत्तराखण्ड राज्य निर्माण (नवम्बर 2000) से पूर्व अनुबंध किया था तथा यू जे वी एन एल ने उसी ठेकेदार के साथ जुलाई 2002 में अनुपूरक अनुबंध हस्ताक्षरित किया।

निष्पादन में 25 माह से लेकर 30.5 माह तक का विलंब (*परिशिष्ट-3.4.1*) हुआ। परिणामतः, परियोजना निर्धारित तिथि (जनवरी 2006) तक पूर्ण नहीं की जा सकी। इसे अंततः मार्च 2008 में चालू किया गया। परियोजना के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि हेड रेस टनल (एच आर टी) के ग्राउंटिंग कार्य और अन्य गैर-महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों में परीहार्य विलंब हुआ। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि निगम ने धरासू एडिट (12-16 किमी) से हेडरेस टनल के निर्माण में आवश्यक पर्याप्त संसाधन (अतिरिक्त डम्पर) नहीं लगाये गये थे। नियंत्रण कक्ष एवं स्विचयार्ड के निर्माण में विलंब हुआ था। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी एच ई एल), एक प्रमुख ठेकेदार, 25 माह तक सिविल कार्यों में विलंब के चलते अपने काम का हिस्सा शुरू नहीं कर सका। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निगम के पास न तो किसी भी समय निधियों की कमी थी और न ही उसे भूमि के अधिग्रहण या जनता से प्रतिरोध के संबन्ध में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा। इसलिए विलंब का कारण निगम द्वारा खराब योजना एवं धीमी गति से कार्य का निष्पादन किया जाना था। परियोजना को चालू करने के पश्चात 2007-08 से 2013-14 के दौरान, यू ई आर सी ने निगम को अनंतिम दर प्रदान की। निगम ने टैरिफ निर्धारण के लिए उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) से पूर्व अवधि के टैरिफ का समायोजन²⁵ तथा अंतिम टैरिफ के निर्धारण हेतु संपर्क किया (नवंबर 2014)। आयोग द्वारा अन्तिम छः माह की देरी को अपरिहार्य एवं नियंत्रणीय मानते हुए निगम द्वारा दावा किये गये ₹1,958.13 करोड़ के सापेक्ष ₹1,889.22 करोड़ की परियोजना लागत की स्वीकृति प्रदान की जैसाकि *परिशिष्ट-3.4.2* में वर्णित है। निगम ने इस निर्णय के विरुद्ध यू ई आर सी के समक्ष एक समीक्षा याचिका (2015 की संख्या 58) दायर की जिसे अस्वीकार (जनवरी 2016) कर दिया गया। तत्पश्चात, निगम ने अपने दावे को ₹34.53 करोड़ छोड़ते हुए ₹1,958.13 करोड़ से घटाकर ₹1,923.60 करोड़²⁶ कर दिया। अंततः यू ई आर सी ने ₹1,885.50²⁷ करोड़ की परियोजना लागत के लिए टैरिफ निर्धारण किया।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं अवगत कराया (मार्च 2017) कि यू ई आर सी द्वारा ₹1,923.60 करोड़ की दावा की गई राशि में से मात्र ₹1,885.50 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा निगम नियमित रूप से यू ई आर सी के साथ इस मुद्दे को उठा रहा था। तथापि, अभिलेखों की जाँच से यह सुनिश्चित हुआ कि तय निधि की उपलब्धता एवं अन्य कोई बाधाएँ दर्ज न होने के बावजूद तथ्य यह है कि निगम परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने में असफल रहा।

²⁵ टैरिफ के समायोजन का अर्थ है संशोधित व्यय/विनियोग के आँकड़ों के आधार पर अनन्तिम टैरिफ को पुनः निर्धारित किया जाना। समायोजन का प्रभाव, वर्तमान वर्ष के टैरिफ में दिखाई पड़ता है।

²⁶ कम दावों की मर्दें: प्रत्याभूति शुल्क के विलंब से भुगतान पर अर्थदण्ड के रूप में ₹18.81 करोड़, चालू होने की तारीख के बाद प्रत्याभूति शुल्क के रूप में चुकाए जाने वाले ₹12 करोड़ और ₹3.72 करोड़ के म एवं अ (मरम्मत एवं अनुरक्षण) के व्यय को वृद्धिपूर्ण सम्मिलित किया गया = ₹34.53 करोड़।

²⁷ ₹1,889.22 करोड़ - ₹3.72 करोड़ मरम्मत एवं अनुरक्षण के व्यय को वृद्धिपूर्ण सम्मिलित किया गया = ₹1,885.50 करोड़।

पुनः, ₹38.10²⁸ करोड़ की लागत वृद्धि टैरिफ निर्धारण हेतु सम्मिलित नहीं की जा सकी क्योंकि यह नियंत्रणीय कारकों के कारण थी, जिसे निगम को अपने खाते से ही वहन करना पड़ा। निगम को ₹34.53 करोड़ की परियोजना लागत के एक अतिरिक्त घटक को भी छोड़ते हुए टैरिफ निर्धारण के अपने दावे को कम करना पड़ा था।

प्रकरण शासन को संदर्भित (अगस्त 2017) किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

3.5 उपयुक्त बीमा पॉलिसी लेने में विफलता के कारण हानि

इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसी लेने में विफल रहने के कारण उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड ₹ 2.18 करोड़ की हानि का दावा नहीं कर सका।

विवेकपूर्ण व्यवसाय पद्धति के अंतर्गत उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (निगम) अपनी स्थापित परियोजनाओं के लिए इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसी (आई ए आर) लेता है। इस प्रकार की पॉलिसी सम्पत्ति की हानि के साथ-साथ छः माह की अधिकतम अवधि के लिए परियोजना के कारोबार में कमी होने के परिणामस्वरूप राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति को आच्छादित करती है। निगम की कालीगंगा-1 (चार में वा) लघु विद्युत परियोजना (एस एच पी) जुलाई 2012 में चालू हुई तथा इसने सितम्बर 2012 से वाणिज्यक संचालन आरम्भ कर दिया। तथापि, इस परियोजना का प्रमुख ढांचा जून 2013 में प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त/बह गया था, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा उत्पादन बन्द हो गया था।

लेखापरीक्षा में पाया (फरवरी 2017) गया कि एस एच पी के जुलाई 2012 में चालू होने के पश्चात आई ए आर पॉलिसी लेने के बजाय, जो कि सामान्य पद्धति है, मैसर्स एस सी एल-बी एफ एल संयुक्त उद्यमी (ठेकेदार²⁹) तथा निगम ने परियोजना हेतु मानक अग्नि तथा विशेष जोखिम पॉलिसी (31.08.2012 से 30.08.2013 की अवधि हेतु) ली। यह पॉलिसी ऊर्जा उत्पादन के बन्द होने के कारण होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति नहीं करती थी। जून 2013 में, यह परियोजना प्राकृतिक आपदा से गंभीर रूप से प्रभावित हुई जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा के सम्पूर्ण उत्पादन की हानि हुई। जुलाई 2012 से जून 2013 तक इसकी संचालन अवधि के दौरान, परियोजना ने 0.966 एम यू औसत मासिक उत्पादन के साथ कुल 11.60 एम यू विद्युत का उत्पादन किया गया। तथापि, एसएचपी के क्षतिग्रस्त होने पर, निगम ₹2.18 करोड़³⁰ की राजस्व हानि का दावा बीमा कम्पनी से नहीं कर सका क्योंकि वर्तमान पॉलिसी विद्युत उत्पादन हानि की क्षतिपूर्ति नहीं करती थी।

²⁸ ₹1,923.60 करोड़ - ₹1,885.50 करोड़ = ₹38.10 करोड़ [₹30.16 करोड़ (निर्माण के दौरान ब्याज (आई डी सी)) + ₹7.94 करोड़ (मूल्य अन्तर (पी वी))।]

²⁹ शुरु होने के एक वर्ष के बाद, एस एच पी के संचालन और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी।

³⁰ 0.966 एम यू एस (9,66,787.5 यूनिट) × 6 माह × ₹3.75 प्रति यूनिट की दर से = ₹2.18 करोड़। यह सामान्य पद्धति है की निगम अपने चालू परियोजनाओं हेतु छः माह के उत्पादन हानि के जोखिम को सम्मिलित करते हुए बीमा पॉलिसी लेता है इसलिए हानि छः माह के लिए आकलित की गई।

प्रबंधन ने अवगत कराया (मार्च 2017) कि बीमा पॉलिसी ठेकेदार के द्वारा ली गई थी जो एक वर्ष की अवधि के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु वैध थी। इसीलिए, दो अलग-अलग पॉलिसी लेना उचित नहीं था क्योंकि इससे उस संपत्ति/परियोजना के बीमा प्रीमियम में वृद्धि हो जाती। पुनः, उत्पादन की हानि गाद से परियोजना संचालन अवरुद्ध होने के कारण हुई, जो कि आई ए आर पॉलिसी में सम्मिलित नहीं थी।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। एस एच पी का स्थल निरीक्षण (सितम्बर 2013) करने वाले दल के प्रतिवेदन के अनुसार, प्राकृतिक आपदा के कारण परियोजना बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। प्रतिवेदन दर्शाता है कि पॉवर हाऊस, नियन्त्रण कक्ष, स्विच यार्ड, पहुँच मार्ग तथा कार्यालय भवन अचानक आई बाढ़ तथा भू-स्खलन के कारण पूरी तरह से बह गये थे, जो यह इंगित करता है कि एस एच पी में उत्पादन हानि मात्र गाद की वजह से नहीं थी, जैसाकि प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2012 में उक्त एस एच पी के चालू होने के पश्चात निगम द्वारा आई ए आर पॉलिसी लेने की पद्धति से अलग हटते हुए मानक अग्नि एवं विशेष जोखिम पॉलिसी लेने का निर्णय लिया।

इस प्रकार, अपनी मानक पद्धति का अनुसरण न करके आई ए आर पॉलिसी लेने में विफलता के कारण, निगम एस एच पी तथा इसके द्वारा उत्पादित ऊर्जा की हानि के परिणामस्वरूप ₹2.18 करोड़ की राजस्व हानि का बीमा कम्पनी से दावा करने से वंचित रहा।

प्रकरण शासन को संदर्भित (मई 2017) किया गया; उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2017) था।

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड

3.6 उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिल जारी करना एवं राजस्व संग्रहण करना

समय से नये संयोजनों को जारी करने में असफलता के कारण यू ई आर सी ने यू पी सी एल पर ₹ 6.52 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया। छः खण्डों में यू पी सी एल की वितरण हानि ₹ 240.91 करोड़ थी। यू पी सी एल के सतर्कता दल द्वारा 14 वितरण खण्डों में मात्र 0.18 प्रतिशत से 0.54 प्रतिशत तक उपभोक्ताओं की जाँच की गई। यू पी सी एल द्वारा, अतिरिक्त प्रतिभूति राशि ₹ 58.60 करोड़, प्रारम्भिक प्रतिभूति राशि ₹ 2.87 करोड़ एवं विलंब भुगतान अधिभार राशि ₹ 132.58 करोड़ वसूल नहीं की जा सकी।

3.6.1 परिचय

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल), प्रदेश की विद्युत वितरण इकाई है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 12 फरवरी 2001 को निगमित हुई। यह प्रदेश के 1.89 मिलियन से अधिक उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करती है।

यू पी सी एल द्वारा अपने उपभोक्ताओं को घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि एवं उद्योग भारों के आधार पर नौ श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यू पी सी एल के उपभोक्ताओं के बिलिंग डाटा का अनुरक्षण दो भिन्न स्तरों महत्वपूर्ण उपभोक्ता सेल (के सी सी)³¹ और गैर-महत्वपूर्ण उपभोक्ता सेल (नान-के सी सी) के रूप में किया जाता है। नान-के सी सी³² डाटा 18.66 लाख उपभोक्ताओं का है, जबकि 23,000 उपभोक्ताओं की बिलिंग के सी सी स्तर पर होती है।

3.6.2 यू पी सी एल की बिलिंग एवं राजस्व संग्रहण प्रक्रिया

यू पी सी एल विद्युत उत्पादकों से विद्युत खरीदता है तथा विद्युत का वितरण अन्तिम उपभोक्ताओं तक 36 वितरण खण्डों के माध्यम से करता है। ये खण्ड अपने अधिकार-क्षेत्र के अनुसार उपभोक्ताओं को विद्युत बिल जारी करते हैं। उपभोक्ता अपने विद्युत बिल का भुगतान किसी भी खण्ड में या आनलाइन भुगतान प्रक्रिया के माध्यम से कर सकते हैं। इस प्रकार संग्रहीत धनराशि यू पी सी एल के केन्द्रीय खाते में प्रेषित कर दी जाती है।

3.6.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और पद्धति

यू पी सी एल के बिलिंग एवं राजस्व संग्रह के विश्लेषण के लिये 36 विद्युत वितरण खण्डों में से 14 वितरण खण्डों³³ का चयन वेटेड स्ट्रेटीफाइड सैम्पलिंग³⁴ के आधार पर किया गया और प्राप्त डाटा संग्रह का विश्लेषण³⁵ डाटा ऐनालिटिक्स का प्रयोग करते हुए किया गया।

इसके पश्चात, यू पी सी एल के उपभोक्ताओं से सम्बन्धित अभिलेखों की समीक्षा जून से अगस्त 2017 के मध्य की गई तथा इसमें 2014-15 से 2016-17 तक की अवधि को आच्छादित किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.6.4 संयोजनों का निर्गमन

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) (नए एल टी संयोजन का निर्गमन, भार में वृद्धि एवं कमी) विनियमन, 2013 प्रावधानित करता है कि अनुज्ञप्तिधारी अर्थात् यू पी सी एल पर संयोजन हेतु आवेदन की तिथि के 30 दिन के अंदर संयोजन को सही मीटर द्वारा ऊर्जाकृत करने का दायित्व

³¹ उपभोक्ता जिनका स्वीकृत विद्युत भार 5 किलोवाट या उससे अधिक है।

³² उपभोक्ता जिनका विद्युत भार 5 किलोवाट से कम है।

³³ रुद्रपुर, सितारगंज, हल्दानी नगरीय, हल्द्वानी ग्रामीण, टिहरी, देहरादून ग्रामीण, देहरादून दक्षिण, रुड़की नगरीय, रुड़की ग्रामीण, हरिद्वार नगरीय, हरिद्वार ग्रामीण, कोटद्वारा, काशीपुर और बाजपुर।

³⁴ वेटेड स्ट्रेटीफाइड सैम्पलिंग विभिन्न जोखिम मानकों की गम्भीरता जैसे बकाया, मीटरों में खराबी, वसूली में अन्तर, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ता, भार, उपभोक्ताओं की कुल संख्या को महत्व देते हुए की गई है।

³⁵ मार्च 2017 तक, 14 चयनित खण्डों में उपभोक्ताओं की संख्या 10,39,127 थी जो कि यू पी सी एल के कुल उपभोक्ताओं का 54.98 प्रतिशत है। चयनित खण्डों का राजस्व ₹ 4,230.01 करोड़ था जो कि यू पी सी एल के कुल राजस्व ₹ 5,572.89 करोड़ का 75.90 प्रतिशत है।

होगा। इसके अतिरिक्त, यू पी सी एल के वितरण खण्ड एवं परीक्षण खण्ड समयसीमा में नये संयोजनों के निर्गमन के लिये संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

3.6.4.1 नये संयोजनों के निर्गमन में देरी

उक्त विनियमन, 2013, प्रावधानित करता है कि यदि अनुज्ञप्तिधारी आवेदनकर्ता को निर्धारित समयसीमा में संयोजन देने में असफल रहता है तो वह आवेदक द्वारा जमा की गयी राशि के प्रति ₹1,000 (या उसके भाग) पर ₹10 की दर से, जो कि अधिकतम ₹1,000 चूक प्रतिदिन तक, अर्थदण्ड अदा करने के लिये उत्तरदायी होगा।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सात खण्डों³⁶ में 2014-15 से 2016-17 के दौरान 6,337 संयोजनों को निर्धारित तिथि के बाद निर्गमित किया गया। इस विलंब के परिणामस्वरूप, इन खण्डों में यू पी सी एल पर ₹2.72 करोड़ का अर्थदण्ड संचय हुआ (परिशिष्ट-3.6.1)। उपरोक्त विनियमन के अनुपालन में असफल रहने के कारण यू ई आर सी ने यू पी सी एल पर ₹6.52 करोड़ का दण्ड शुल्क लगाया (जनवरी 2016)। यू पी सी एल ने ₹0.65 करोड़ के अर्थदण्ड का भुगतान किया। यह भी पाया गया कि इनमें से एक खण्ड³⁷ आवश्यक सेवाओं³⁸ को पाँच वर्ष से अधिक समय तक संयोजन निर्गमन में असफल रहा एवं क्षेत्र के निवासियों को सरकार के कल्याणकारी उपायों के लाभ से वंचित रहना पड़ा।

3.6.4.2 यू ई आर सी भार विनियमन का अनुपालन न किया जाना

यू ई आर सी (एच टी एवं ई एच टी संयोजन का निर्गम, भार में वृद्धि एवं कमी) विनियमन 2008 प्रावधानित करता है कि 88 के वी ए से अधिक के औद्योगिक संयोजन को 11 के वी लाइन पर निर्गमित करना चाहिये और सभी इस्पात/भट्टी उपभोक्ताओं का स्वीकृत भार स्वतन्त्र फीडर द्वारा 33 के वी या अधिक की लाइन पर ही स्वीकृत किया जाना चाहिये। इस संबंध में यह पाया गया कि:

- यू पी सी एल के दो खण्डों³⁹ में, इस्पात उपभोक्ताओं⁴⁰ के संयोजन 33 के वी लाइन के स्थान पर 11 के वी लाइन पर स्वतन्त्र फीडर द्वारा किये गये।
- देहरादून (ग्रामीण) खण्ड में, एक उपभोक्ता⁴¹ का भार 40 के वी ए से बढ़ाकर 175 के वी ए कर दिया गया लेकिन संयोजन का निर्गमन 11 के वी लाइन के स्थान पर 0.4 के वी लाइन पर

³⁶ हल्द्वानी (ग्रामीण), काशीपुर, रुद्रपुर, टिहरी, हरिद्वार नगरीय, हरिद्वार ग्रामीण और देहरादून ग्रामीण।

³⁷ नई टिहरी।

³⁸ मार्च 2012 से लम्बित हवेल घाटी पम्पिंग पेयजल योजना (810 कि वा भार) और मार्च 2015 से, लम्बित घण्टाकरन पेयजल योजना (1,493 कि वा भार)।

³⁹ सितारगंज और हल्द्वानी (ग्रामीण)।

⁴⁰ मैसर्स कुमाऊँ इस्पात उद्योग लिमिटेड और मैसर्स पाल अलॉय और स्टील कास्टिंग प्रा लि।

⁴¹ मैसर्स समीक्षा इन्डस्ट्रीज।

किया गया था। इसी प्रकार, हरिद्वार (नगरीय) में, उपभोक्ता⁴² को 119 के वी अनुबन्धित भार को 11 के वी लाइन के स्थान पर 0.4 के वी लाइन पर संयोजन निर्गत किया गया।

इसके परिणामस्वरूप, यू ई आर सी के विनियमन के उल्लंघन के साथ साथ यू पी सी एल को निर्माण लागत पर 18 प्रतिशत की दर से सेन्टेज चार्ज की हानि हुई जो कि उपभोक्ताओं से वसूली योग्य था। पुनः, उपभोक्ताओं की लागत पर नई लाइनें विकसित हो सकती थीं जिससे यू पी सी एल के वितरण तंत्र को सुदृढ़ किया जा सकता था।

3.6.5 वितरण में ऊर्जा की हानि

3.6.5.1 वितरण हानि के माध्यम से ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण मात्रा का हास हुआ। वितरण हानियां यू ई आर सी द्वारा निर्धारित मापदण्डों⁴³ से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान यू पी सी एल की आगत ऊर्जा, बिलिंग/विक्रीत ऊर्जा, गैर-बिलिंग ऊर्जा एवं बिलिंग दक्षता का विवरण नीचे तालिका-3.6.1 में वर्णित है:

तालिका-3.6.1 : वर्ष 2014-17 के दौरान यू पी सी एल की आगत ऊर्जा, बिलिंग/विक्रीत ऊर्जा, गैर-बिलिंग ऊर्जा एवं बिलिंग दक्षता के संबंध में विवरण

क्र.स.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
1.	आगत ऊर्जा (एम यू में)	11,888.23	12,559.59	12,780.31
2.	बिलिंग/विक्रीत ऊर्जा (एम यू में)	9,685.16	10,298.14	10,571.68
3.	गैर-बिलिंग ऊर्जा (एम यू में)	2,203.07	2,261.45	2,208.63
4.	बिलिंग दक्षता (प्रतिशत में)	81.47	81.99	82.72

स्रोत: यू पी सी एल के आँकड़ों से संकलित सूचना।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि पिछले तीन वर्षों में यू पी सी एल की बिलिंग दक्षता की सीमा 81.47 प्रतिशत से 82.72 प्रतिशत के बीच रही। वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान औसतन ऊर्जा क्रय लागत (मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय, प्रशासनिक व्यय, इत्यादि को सम्मिलित करते हुए) भी ₹4.58 प्रति इकाई से बढ़कर ₹5.13 प्रति इकाई हो गई, जिसके सापेक्ष प्रति इकाई वसूली ₹4.61 प्रति इकाई से ₹4.89 प्रति इकाई के बीच रही। जिसके परिणामस्वरूप, यू पी सी एल को इसी दौरान बिलिंग ऊर्जा पर नौ पैसा प्रति इकाई से 27 पैसा प्रति इकाई के बीच हानि वहन करनी पड़ी। यह यू पी सी एल की संचय हानियों में प्रतिबिंबित हुआ, जो कि वर्ष 2014-15 में ₹1,955.09 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹2,339.50 करोड़ हो गई।

यह भी पाया गया कि यू पी सी एल की समस्त वितरण हानि 2014-15 से 2016-17 के दौरान 16.68 प्रतिशत से 18.64 प्रतिशत के मध्य रही जो कि यू ई आर सी द्वारा निर्धारित मापदण्डों से

⁴² मैसर्स गुरुकुल फार्मसी।

⁴³ वर्ष 2014-15 में 15.5 प्रतिशत, वर्ष 2015-16 में 15.0 प्रतिशत और वर्ष 2016-17 में 15.0 प्रतिशत यू ई आर सी द्वारा निर्धारित की गई थी।

अधिक थी। चयनित इकाईयों में से, छः खण्डों⁴⁴ की वितरण हानियां 23.39 प्रतिशत से 26.99 प्रतिशत के मध्य रही। वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान हानियां स्वीकार्य मापदण्ड से ₹240.91 करोड़ अधिक थीं (परिशिष्ट-3.6.2)। वितरण हानियों के कारणों की चर्चा नीचे की गयी है:

3.6.5.2 चोरी/छुट-पुट चोरी के कारण ऊर्जा एवं राजस्व की हानि

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 प्रावधानित करती है कि ऊर्जा की चोरी एक दण्डनीय अपराध है। पुनः, विद्युत अधिनियम, 2003 धारा 163 में यह प्रावधान है कि अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर में उपकरणों के निरीक्षण एवं परीक्षण हेतु प्रवेश कर सकता है।

यह पाया गया कि चयनित 14 खण्डों में सतर्कता दल द्वारा वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान मात्र 11,306 उपभोक्ताओं की जाँच की गयी। कुल उपभोक्ताओं की संख्या के सन्दर्भ में जाँच की प्रतिशतता मात्र 0.18 प्रतिशत से 0.54 प्रतिशत के मध्य थी। तथापि, कुल जाँच में से चोरी के पकड़े गये प्रकरणों की प्रतिशतता 41.01 प्रतिशत से 60.60 प्रतिशत (परिशिष्ट-3.6.3) के मध्य रही, जो कि काफी थी। दोषी उपभोक्ताओं पर ₹15.60 करोड़ का कर निर्धारण किया गया जिसके सापेक्ष मार्च 2017 तक ₹10.78 करोड़ की वसूली हुई थी एवं ₹4.82 करोड़ की धनराशि वसूली हेतु अभी भी लम्बित थी।

अभिलेखों की जाँच में आगे यह भी पाया गया कि यू पी सी एल के सतर्कता दल का आकार उसके संगठन के आकार और उपभोक्ता आधार के अनुरूप नहीं था। यू पी सी एल ने सतर्कता कार्य हेतु मात्र 12 अधिकारियों अर्थात् उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (1 पद), उप पुलिस अधीक्षक (2 पद), इन्सपेक्टर (3 पद), और सहायक इन्सपेक्टर (6 पद) के पद स्वीकृत किये हैं। उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का पद सितम्बर 2003 से सतर्कता प्रकोष्ठ के गठन से खाली था। अन्य पद भी समय समय पर खाली थे। वर्तमान (नवम्बर 2017) में, मात्र तीन इन्सपेक्टर एवं एक सहायक इन्सपेक्टर तैनात हैं। यदि यू पी सी एल ने अपनी सतर्कता टीम को सुदृढ़ किया होता तथा जाँच के लिए मापदण्डों को निर्धारित किया होता तो चोरी के कारण राजस्व में स्राव को अधिक प्रभावी ढंग से बन्द किया जा सकता था।

3.6.5.3 वितरण परिवर्तन मापन में अनुरक्षण में कमी

यू पी सी एल ने स्थापित वितरण परिवर्तकों (डी टी आर) की मापन एवं ऑटोमैटिक डाटा लौगिंग की परिकल्पना की जिससे यथार्थ बिलिंग उद्देश्य हेतु ऊर्जा डाटा प्राप्त किया जा सके और डी टी आर स्तर पर हो रही वितरण हानियों में सुधारात्मक कार्यवाही करें।

⁴⁴ सितारगंज, हल्दवानी, बाजपुर, रुड़की नगरीय, रुड़की ग्रामीण और टिहरी।

चार खण्डों⁴⁵ में यह पाया गया कि 573 मीटर/मौडम स्थापित किये गये थे जिसके सापेक्ष केवल 284 (49.56 प्रतिशत) मीटर/मौडम क्रियाशील/संचारशील थे। शेष 289 (50.44 प्रतिशत) मीटर/मौडम क्रियाशील/प्रेषणशील (परिशिष्ट-3.6.4) नहीं थे जिनका ऊर्जा के अन्तःप्रवाह/बाह्यप्रवाह को दर्ज करने तथा वितरण हानियों को मापने पर प्रतिकूल असर पड़ा। प्रेषणशील मीटरों/मौडम के अभाव में, डी टी आर स्तर पर वितरण हानियों की यथार्थता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

3.6.6 गुणवत्ता मापन

उपभोक्ताओं को प्रदान की गई विद्युत ऊर्जा के बिलिंग उद्देश्य हेतु यू पी सी एल, उपभोक्ताओं के परिसर में, विद्युत मीटर स्थापित करती है। उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा की विश्वसनीयता, शुद्धता और निरन्तरता को मापने के लिए उच्च गुणवत्ता के मीटरों की आवश्यकता होती है। इसके संबंध में निम्न बिन्दु संज्ञान में आये:

3.6.6.1 दोष पूर्ण मीटरों का न बदला जाना

यू ई आर सी विद्युत आपूर्ति कोड 2007 की धारा 3.1.4 प्रावधानित करती है कि यू पी सी एल को चिन्हित दोषपूर्ण मीटरों (आई डी एफ) की प्रतिस्थापना 15 दिनों के अंदर कर देनी चाहिये और इनको अधिकतम तीन माह की अवधि के अंदर आवश्यक रूप से ठीक कर लेना चाहिए।

माह जुलाई 2017 के बिलिंग अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि चयनित 14 खण्डों के 32,507 उपभोक्ताओं के माह जुलाई 2017 के बिल आई डी एफ के आधार पर बनाए गये और इन प्रकरणों में विद्युत बिल, जिनकी धनराशि ₹81.50 करोड़⁴⁶ थी, निर्धारण के आधार पर बनाये गये थे तथा उपभोक्ताओं के मीटर एक से 115 माह तक की अवधि से दोषपूर्ण थे। यह पाया गया कि परीक्षण खण्ड (दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन के लिए उत्तरदायी) और विद्युत वितरण खण्ड (बिलिंग कार्य के लिये उत्तरदायी) के मध्य समन्वय के अभाव में उपभोक्ताओं द्वारा अधिक ऊर्जा का उपयोग करने और यू पी सी एल को आवर्ती हानि होने की सम्भावनाएं बन गईं। यू पी सी एल द्वारा

⁴⁵ सितारगंज, हल्द्वानी (नगरीय), कोटद्वार और देहरादून (ग्रामीण)।

⁴⁶ देहरादून केन्द्रीय (प्रकरणों की संख्या-508, निर्धारण की धनराशि - ₹ 15.27 लाख) देहरादून दक्षिण (प्रकरणों की संख्या-99, निर्धारण की धनराशि - ₹ 13.44 लाख) देहरादून ग्रामीण (प्रकरणों की संख्या-1,921, निर्धारण की धनराशि - ₹ 52.12 लाख) रुद्रपुर (प्रकरणों की संख्या-9,371, निर्धारण की धनराशि - ₹ 1,893.47 लाख) सितारगंज (प्रकरणों की संख्या-2,969, निर्धारण की धनराशि - ₹ 3,024.66 लाख), काशीपुर (प्रकरणों की संख्या-519, निर्धारण की धनराशि - ₹ 379.45 लाख), बाजपुर (प्रकरणों की संख्या-756, निर्धारण की धनराशि - ₹ 82.39 लाख), हल्द्वानी ग्रामीण (प्रकरणों की संख्या-1,203, निर्धारण की धनराशि - ₹ 334.97 लाख), हल्द्वानी नगरीय (प्रकरणों की संख्या-1,210, निर्धारण की धनराशि - ₹ 204.60 लाख), रुड़की ग्रामीण (प्रकरणों की संख्या-3,009, निर्धारण की धनराशि - ₹ 700.87 लाख), रुड़की नगरीय (प्रकरणों की संख्या-4,072, निर्धारण की धनराशि- ₹ 840.25 लाख), हरिद्वार ग्रामीण (प्रकरणों की संख्या-1,644, निर्धारण की धनराशि- ₹ 403.65 लाख), हरिद्वार नगरीय (प्रकरणों की संख्या-630, निर्धारण की धनराशि- ₹ 96.00 लाख) एवं कोटद्वार (प्रकरणों की संख्या-4,596, निर्धारण की धनराशि - ₹ 109.11 लाख)।

उपरोक्त आपूर्ति कोड के मापदण्डों का अनुपालन नहीं किया गया एवं बिल वास्तविक आधार की बजाय निर्धारण के आधार पर बनाये गये। वास्तविक मीटर रीडिंग की अनुपस्थिति में, हानि की गणना नहीं की जा सकी।

3.6.6.2 यान्त्रिक मीटरों का न बदला जाना

यू ई आर सी ने अपने आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2015 द्वारा यू पी सी एल को 31 दिसम्बर 2015 तक सभी यान्त्रिक मीटरों को इलेक्ट्रॉनिक मीटरों से प्रतिस्थापन करने के लिए निर्देशित किया। इलेक्ट्रॉनिक मीटर अपनी निहित सटीकता के गुण के कारण सटीक और छेड़छाड़ रहित हैं, इसलिए लाइन हानियों में कमी लाने में सहायक होते हैं। यह पाया गया कि मार्च 2017 तक 14 चयनित खण्डों में से सात खण्डों में 21,123⁴⁷ यान्त्रिक मीटर प्रतिस्थापन हेतु लम्बित थे। यान्त्रिक मीटरों के गैर-प्रतिस्थापन ने मीटर की गुणवत्ता पर असर डाला है। यू पी सी एल वितरण एवं परीक्षण खण्डों में समन्वय न होने के कारण समय से यान्त्रिक मीटरों का प्रतिस्थापन नहीं कर सका।

3.6.6.3 एम आर आई द्वारा अपर्याप्त मीटर रीडिंग

वृहद भार वाले उपभोक्ताओं के परिसर में, यू पी सी एल टाइम ऑफ डे (टी ओ डी) मीटरों का मौडम तथा संयोजित सिम (इस प्रकार के विद्युत मीटरों में, खपत के आँकड़े स्वचालित रूप से केंद्रीय सर्वर को संचारित किये जाते हैं) या बिना मौडम एवं सिम के टी ओ डी मीटर (इस प्रकार के मीटरों में इलेक्ट्रॉनिक मीटर रीडिंग इन्स्ट्रुमेंट का प्रयोग करते हुए ऊर्जा खपत दर्ज की जाती है) स्थापित करता है। यू ई आर सी आपूर्ति कोड 2007 की धारा 3.1.2 प्रावधानित करती है कि जहाँ भी टाइम आफ डे (टी ओ डी) मीटर⁴⁸, बिना मौडम एवं सिम के स्थापित हैं, उनकी रीडिंग केवल मीटर रीडिंग इन्स्ट्रुमेंट⁴⁹ (एम आर आई) के द्वारा ही होनी चाहिए। एम आर आई मीटर की सेहत और कार्यप्रणाली का विवरण देती है। पुनः यदि मीटरों में छेड़छाड़ की गयी है या मीटर उपभोग के सापेक्ष कम ऊर्जा अंकित करता है तो यह एम आर आई द्वारा पता चल सकता है।

यह पाया गया कि पाँच खण्डों⁵⁰ में निम्न एवं उच्च टेंशन उपभोक्ताओं का, मार्च 2015 में 4,540 उपभोक्ताओं, मार्च 2016 में 4,951 उपभोक्ताओं व मार्च 2017 में 5,112 उपभोक्ताओं का, मापन एम आर आई से होना अपेक्षित था। इसके सापेक्ष, खण्डों द्वारा केवल क्रमशः

⁴⁷ हल्द्वानी नगरीय (766), रुद्रपुर, (95), सितारगंज, (3,612), काशीपुर (463), कोटद्वार (12,228), हरिद्वार नगरीय (2,282), एवं बाजपुर (1,677)।

⁴⁸ टाइम आफ डे मापक में विद्युत दरों को दिन के दौरान बदलने की अनुमति देता है, व्यस्ततम समय में (उच्च दर) में और गैर- व्यस्ततम समय में (कम दर) में उपयोग को अंकित करता है।

⁴⁹ एम आर आई हैंड हेल्ड पोर्टेबल मशीन है जो मापक की रीडिंग एवं उसकी सेहत की जाँच करती है।

⁵⁰ रुद्रपुर, हल्द्वानी नगरीय, रुड़की ग्रामीण, रुड़की नगरीय तथा बाजपुर।

2,805 (61.78 प्रतिशत), 2,917 (58.45 प्रतिशत) एवं 2,894 (56.61 प्रतिशत) उपभोक्ताओं का मापन एम आर आई द्वारा किया गया (परिशिष्ट-3.6.5)। एम आर आई की कमी के कारण कम बिलिंग एवं मीटर से छेड़छाड़ की वजह से राजस्व की हानि के साव की सम्भावना बनी रहती है।

3.6.6.4 स्वचालित मीटर रीडिंग मीटरों की अपर्याप्त संख्या

2016-17 के टैरिफ आदेश में, यू पी सी एल ने कहा कि लाइन हानियों में कमी लाने के लिए स्वचालित मीटर/रीडिंग⁵¹ (ए एम आर) मीटर की स्थापना अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है। यू पी सी एल ने यह प्रतिबद्ध किया कि 5 कि वा के संयोजनों की बिलिंग ए एम आर मीटर से की जायेगी। ए एम आर विद्युत उपभोग अंकित कर और उसे सिम और मौडम के माध्यम से उपभोक्ता द्वारा विद्युत उपयोग वास्तविक समय में अंकित कर सर्वर को भेजता है। ए एम आर उपकरण के माध्यम से मीटर रीडिंग की इस प्रक्रिया से मानवीय हस्तक्षेप एवं बिलिंग त्रुटि की सम्भावना कम हो जाती है।

अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि 12 खण्डों⁵² में 5 कि वा से अधिक 12,149 महत्वपूर्ण उपभोक्ता सेल उपभोक्ताओं में से वर्ष 2016-17 में, केवल 2,385 उपभोक्ताओं (19.63 प्रतिशत) की बिलिंग ए एम आर द्वारा की गई एवं 9,764 उपभोक्ताओं की बिलिंग मैनुअल रूप से की गई (परिशिष्ट-3.6.6)।

3.6.7 बिलिंग दक्षता⁵³

यू ई आर सी प्रत्येक वर्ष के लिए टैरिफ जारी करता है एवं प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित टैरिफ के अनुसार उपभोक्ताओं के बिलों को तैयार करना आवश्यक होता है। खपत की गई बिजली की कम बिलिंग यू पी सी एल के लिए हानि है, जबकि अधिक बिलिंग उपभोक्ताओं के हित के विरुद्ध है। किसी भी असामान्य बिलिंग का विश्लेषण करना चाहिए एवं सुधारात्मक उपाय किये जाने चाहिए।

⁵¹ ए एम आर उपभोग के आँकड़ों को एकत्र करता है और उसे पॉवर कम्पनी को प्रेषित करता है।

⁵² हल्द्वानी ग्रामीण, हल्द्वानी नगरीय, रुद्रपुर, बाजपुर, सितारगंज, कोटद्वार, टिहरी, देहरादून ग्रामीण, रुड़की नगरीय, रुड़की ग्रामीण, हरिद्वार नगरीय, हरिद्वार ग्रामीण।

⁵³ बिलिंग दक्षता कुल इकाई आदानों के सापेक्ष कुल बिलिंग इकाई को संदर्भित करती है।

3.6.7.1 प्रारम्भिक प्रतिभूति निक्षेप की गैर-प्राप्ति

यू ई आर सी एल टी विनियमन 2013 के अनुसार, यू पी सी एल संयोजन निर्गत करते समय सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं से प्रतिभूति निक्षेप जमा करता है। 14 खण्डों⁵⁴ के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि मार्च 2017 तक, विभिन्न श्रेणियों के 800 उपभोक्ताओं से आवश्यक प्रारम्भिक प्रतिभूति निक्षेप लिये बिना संयोजन जारी किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप, ₹2.41 करोड़ की गैर-प्राप्ति तथा यू ई आर सी विनियमों का उल्लंघन हुआ (परिशिष्ट-3.6.7)।

प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ उपभोक्ताओं की प्रारम्भिक प्रतिभूति निक्षेप को मैनुअल से कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के डेटा हस्तांतरण के समय सिस्टम में दर्ज नहीं किया गया था और कुछ प्रकरणों में यह अभी तक जमा नहीं हुआ था। आगे यह भी अवगत कराया गया कि इन संयोजनों की प्रारम्भिक प्रतिभूति निक्षेप का मिलान कर वसूली की जायेगी। यू पी सी एल का उत्तर खराब डाटा प्रबंधन को इंगित करने के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति पर नियंत्रण के अभाव को दर्शाता है।

3.6.7.2 शंट कैपेसिटर अधिभार का अनारोपण

आपूर्ति की सामान्य शर्तों के अनुसार, वर्तमान ऊर्जा शुल्क पर पाँच प्रतिशत का अधिभार इंडक्टिव लोड वाले उन उपभोक्ताओं पर लगाया जाएगा जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्राई वेक्टर मीटर⁵⁵ नहीं हैं या जिन्होंने उपयुक्त रेटिंग और विशिष्टताओं वाले शंट कैपेसिटर⁵⁶ स्थापित नहीं किये हैं।

रुद्रपुर खण्ड में यह पाया गया कि लोक जल निर्माण के संयोजनों के बिल निर्धारण के आधार पर बनाये गये थे और इन उपभोक्ताओं की मीटर संख्या व मीटर माँडल अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। इसका तात्पर्य है कि ट्राई-वेक्टर मीटर स्थापित नहीं किये गये थे। ऐसे में, खण्ड को 2014-15 से 2016-17 तक की अवधि के लिए विद्युत शुल्क पर पाँच प्रतिशत का अधिभार लेना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹24.98 लाख⁵⁷ की कम बिलिंग हुई।

खण्ड ने अवगत (जून 2017) कराया कि राज्य के नलकूपों के संयोजनों पर मीटर स्थापित करने के लिए परीक्षण खण्ड के साथ पत्राचार किया जा रहा था। इसके साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित उप-खण्डीय अधिकारियों और कनिष्ठ अभियन्ताओं को मीटरों की स्थापना के बाद बिल में शंट कैपेसिटर अधिभार प्रभारित करने के निर्देश जारी कर दिए गये हैं।

⁵⁴ रुद्रपुर, सितारगंज, हल्द्वानी शहरी, हल्द्वानी ग्रामीण, टिहरी, देहरादून ग्रामीण, देहरादून दक्षिण, रुड़की शहरी, रुड़की ग्रामीण, हरिद्वार शहरी, हरिद्वार ग्रामीण, कोटद्वार, काशीपुर और बाजपुर।

⁵⁵ ट्राईवेक्टर मापक को एच टी/एल टी उपभोक्ताओं की मीटरिंग हेतु बनाया गया है। इस मापक में उन्नत डेटा व छेड़छाड़ को दर्ज करने की क्षमता है।

⁵⁶ शंट कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका प्रयोग लाईन हानियों को कम करने और वोल्टेज स्थायित्व को सुधारने के लिये किया जाता है।

⁵⁷ वर्ष 2014-15 में विद्युत प्रभार - ₹72,73,728 + वर्ष 2015-16 में विद्युत प्रभार - ₹4,12,30,796 + वर्ष 2016-17 में विद्युत प्रभार - ₹14,48,208 = ₹4,99,52,732 × 5 प्रतिशत = ₹24.98 लाख।

3.6.8 यू पी सी एल द्वारा राजस्व संग्रहण

यू पी सी एल के खण्डों द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा के बिल यू ई आर सी द्वारा निर्धारित टैरिफ के आधार पर जारी किये जाते हैं। बिलों की दक्ष वसूली महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यू पी सी एल के राजस्व का एकमात्र प्रमुख स्रोत है। समय पर विद्युत बिलों की वसूली न होने से बकाया में वृद्धि होती है एवं कम्पनी के वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3.6.8.1 विद्युत बकाये की वसूली न किया जाना

यू ई आर सी विद्युत आपूर्ति संहिता 2007 की धारा 4.1 प्रावधानित करती है कि यू पी सी एल विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 के अनुसार उपभोक्ता, जो अपने भुगतान में चूक करता है, उसे देय राशि का भुगतान 15 दिनों के अंदर करने हेतु लिखित रूप में संयोजन विच्छेद का नोटिस जारी कर सकता है। उक्त नोटिस की अवधि समाप्त होने पर वह उपभोक्ता की आपूर्ति को विच्छेदित कर सकता है। यदि उपभोक्ता बकाया सहित देय बिल राशि को विच्छेदन की तिथि से छः माह के भीतर भुगतान नहीं करता है, तो ऐसे संयोजन स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिये जायेंगे।

यू पी सी एल के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि बिजली के बकाया से सम्बन्धित घरेलू, गैर-घरेलू, निजी नलकूप, निम्न टेंशन और उच्च टेंशन वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिजली बिल के बकाया की राशि 2014-15 में ₹1,353.30 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹1,420.47 करोड़ हो गई थी, जो कि नीचे तालिका-3.6.2 में वर्णित है:

तालिका-3.6.2: 2014-17 के दौरान घरेलू, गैर-घरेलू, निजी नलकूप, निम्न/उच्च टेंशन उद्योगों के विद्युत बकायों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
1.	वर्ष की प्रारम्भ में बकाया शेष	1,346.47	1,353.30	1,317.42
2.	वर्ष के दौरान निर्धारित/बिलिंग राजस्व	3,918.63	4,525.40	5,047.65
3.	वसूली के लिए कुल देय राशि (1+2)	5,265.10	5,878.70	6,365.07
4.	कुल राशि समायोजित/माफ कर दी गई/छूट	107.37	56.28	31.94
5.	वर्ष के दौरान वसूली राशि	3,804.43	4,505.00	4,912.66
6.	साल के अंत में बकाया शेष	1,353.30	1,317.42	1,420.47

स्रोत: यू पी सी एल के रिकॉर्ड से संकलित सूचना।

प्रबंधन ने बताया कि उपभोक्ताओं से बकाया की वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि यू पी सी एल ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 170 के अंतर्गत वसूली प्रमाण पत्र (आर सी) के माध्यम से त्रुटिकर्ता उपभोक्ताओं से बकाया राशि को प्राप्त करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए। आर सी से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक यू पी सी एल ने ₹43.54 करोड़ की आर सी जारी की जिसके

सापेक्ष मात्र ₹1.29 करोड़ (2.96 प्रतिशत) प्राप्त कर सका जैसाकि **परिशिष्ट-3.6.8** में वर्णित किया गया है।

3.6.8.2 विलम्बित भुगतान अधिभार का प्राप्त न होना

देय तिथि के बाद 15 दिनों की रियायती अवधि के भीतर विद्युत बिल के भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 के अनुसार बिल की मूल राशि जो भुगतान नहीं की गयी पर 1.25 प्रतिशत का अधिभार, प्रत्येक क्रमिक माह या उसके हिस्से पर जब तक पूरा भुगतान नहीं किया जाता है, नियत तारीख से लगाया जाएगा।

यह पाया गया कि यू पी सी एल 4,429 विभिन्न उपभोक्ताओं⁵⁸ से जिनका संयोजित भार 1,65,388 कि वा था, मार्च 2017 तक ₹132.58 करोड़ के विलम्बित भुगतान अधिभार को वसूल करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप, यू पी सी एल के पहले से ही विषम वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। यह भी पाया गया था कि 2014-15 से 2016-17 के दौरान, यू पी सी एल को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज के रूप में ₹57.89 करोड़ का भुगतान करना पड़ा। यदि यू पी सी एल ने सम्बन्धित उपभोक्ताओं से विलम्बित भुगतान अधिभार वसूल किया होता, तो वह ब्याज के भुगतान के रूप में अपने वित्तीय बोझ को कम कर सकता था।

3.6.8.3 अतिरिक्त प्रतिभूति की गैर-वसूली

यू ई आर सी विनियमन 2007 का प्रस्तर 2.3.1 प्रावधानित करता है कि पिछले वर्ष की प्रतिभूति निक्षेप की पर्याप्तता हेतु उपभोक्ताओं के खपत स्वरूप के अनुसार प्रतिभूति धनराशि की समीक्षा की जानी चाहिए। एक उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्रों की अनुमानित औसत खपत के बराबर राशि बनाए रखना आवश्यक है। अंतर धनराशि की उपभोक्ताओं को एक सूचना देकर अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में मांग की जाती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2017 तक यू पी सी एल के 14 खण्डों⁵⁹ में, 3,431 वृहद और भारी उपभोक्ताओं से सम्बन्धित ₹57.53 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिभूति राशि (अप्रैल 2016 से) को वसूल करने में विफल रहा (**परिशिष्ट-3.6.9**)। खण्डों ने न तो अतिरिक्त प्रतिभूति राशि वसूल की और न ही ऐसे उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित की। प्रबंधन ने अवगत कराया कि वसूली के

⁵⁸ सार्वजनिक लैम्प (1,325), जल संस्थान (1,268), जल निगम (74), राजकीय नलकूप (1,376), पम्प नहर (156), लिफ्ट सिंचाई (29), रेलवे संकर्षण (02), रिसाइक्लिंग प्लांट (109), और वर्ल्ड बैंक नलकूप (90)।

⁵⁹ रुद्रपुर, सितारगंज, हल्द्वानी (शहरी), हल्द्वानी (ग्रामीण), काशीपुर, बाजपुर, टिहरी, कोटद्वार, देहरादून (दक्षिण), देहरादून (ग्रामीण), हरिद्वार (शहरी), हरिद्वार (ग्रामीण), रुड़की (ग्रामीण) और रुड़की (शहरी)।

लिए डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिये गये हैं। तथापि, अतिरिक्त प्रतिभूति राशि वसूली अभी भी (अगस्त 2017) लंबित थी एवं यू पी सी एल अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रहा।

3.6.9 अन्य मुद्दे

3.6.9.1 पूर्व भुगतान मीटरों की गैर-स्थापना

यू ई आर सी द्वारा 11 अप्रैल 2012 के आदेश के अनुसार, यू पी सी एल के 2012-13 के खुदरा टैरिफ हेतु, पूर्व भुगतान मीटरिंग के क्रियान्वयन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई जो अक्टूबर 2012 से प्रभावी थी। यू ई आर सी के मुताबिक, पूर्व भुगतान मीटरों का इस्तेमाल करने से उपभोक्तों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और यू पी सी एल के नकदी प्रवाह में सुधार की उम्मीद थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यू पी सी एल ने 5,000 एकल फेस और 1,000 तीन फेज के पूर्व भुगतान मीटरों और सम्बन्धित सामानों के लिए ₹3.90 करोड़ का आपूर्ति आदेश⁶⁰ (जुलाई 2014) दिया। उपरोक्त में से, 2014-15 में पहले चरण में ₹77.99 लाख⁶¹ के 1,000 एकल फेस और 200 तीन फेज के मीटर सम्बन्धित सामानों के साथ प्राप्त हुए थे। यू पी सी एल द्वारा ये मीटर अपने पाँच परीक्षण खण्डों⁶² को नए अस्थायी संयोजन जारी करने के दौरान उपयोग के लिए निर्गत किये गये थे।

यह पाया गया कि यू पी सी एल द्वारा 2014-15 के दौरान प्राप्त 1,200 पूर्व भुगतान मीटरों में से केवल 622 मीटर स्थापित किये गये थे। पूर्व भुगतान मीटरों में अप्रैल 2015 से प्रभावी नई टैरिफ दरों को कैलिब्रेट करने में कठिनाइयों का सामना करने के कारण यू पी सी एल ने इन मीटरों की आगे स्थापना को रद्द करने का निर्णय (18 अप्रैल 2015) लिया। यू पी सी एल इन मीटरों में वार्षिक टैरिफ संशोधन की बुनियादी आवश्यकता परिकल्पित करने एवं स्थापित करने में असफलता के कारण पूर्व भुगतान मीटरों का उपयोग करने में असमर्थ था जिससे ₹ 77.99 लाख का व्यय निष्फल हुआ। इसके अतिरिक्त, पूर्व भुगतान मीटरों के उपयोग के माध्यम से अपेक्षित नकदी प्रवाह में सुधार के अतिरिक्त लाभ से भी यू पी सी एल को वंचित होना पड़ा।

निष्कर्ष

यू पी सी एल को विद्युत आपूर्ति के वितरण में नुकसान उठाने को बाध्य होना पड़ा। मापदण्डों से अधिक वितरण में हानियां, यान्त्रिक मीटरों का न बदलना, अपर्याप्त सतर्कता, समय से दोषपूर्ण

⁶⁰ आदेश संख्या 999/यू पी सी एल/सी ई/सी पी-III/23/2012-13 (सिक्क्योर) दिनांक 31 जुलाई 2014।

⁶¹ एकल फेज पूर्व भुगतान मीटरों की लागत ₹4,039.78×1,000 = ₹40,39,780/-, तीन फेज पूर्व भुगतान मीटर की लागत ₹9,360.05 × 200 = ₹18,72,010/-, इन हाउस डिस्प्ले इकाई 640.62 × 1,200 = ₹7,68,744/-, चोरी रोधक मीटर बॉक्स (सिंगल फेज एवं तीन फेज @ ₹932.35 × 1,200 = ₹11,18,820/-।

⁶² रुद्रपुर, हरिद्वार, देहरादून शहरी, देहरादून ग्रामीण, एवं रुड़की के खण्ड।

मीटरों का न बदला जाना एवं मीटरिंग में यू ई आर सी आपूर्ति संहिता का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण थीं। यू पी सी एल विगत तीन वर्षों के दौरान, उपभोक्ताओं से अपेक्षित प्रारम्भिक और अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि; शंट कैपेसिटर शुल्क; विलम्बित भुगतान अधिभार; और विद्युत शुल्क की वसूली भी नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप बकायों में वृद्धि हुई।

प्रकरण शासन को संदर्भित (सितम्बर 2017) किया गया; उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2017) था।

देहरादून

दिनांक : 21 मार्च 2018



(एस. आलोक)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक : 23 मार्च 2018


(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

